कार्यालय जिलाधिकारी बुलन्दशहर

पत्रांकः /ई–पेंशन/डि0सि0/2016–17, दिनांक

विषय– ऑन लाईन पेंशन स्वीकृति प्रणाली, ई–पेंशन सिस्टम के संचालन के सम्बन्ध में ।

समस्त आहरण–वितरण अधिकारी
जनपद–बुलन्दशहर

उपरोक्त विषयक वरिष्ठ कोषाधिकारी बुलन्दशहर के पूर्व प्रेषित पत्रांक–1051/कोष0कम्प्यू0/डि0सि0/2015–16, दिनांक 09/12/2015, पत्रांक 1341/कोष0कम्प्यू0/ डि0सि0/2015–16,दिनांक 14/03/2016 एवं पत्रांक 25/कोष0कम्प्यू0/ डि0सि0/2016–17, दिनांक 08/04/2016, तथा मेरे कार्यालय के पत्रांक–1417/ई–पेंशन/डि0सि0/2015–16, दिनांक 21/03/2016 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपसे अनुरोध किया गया कि आप यथाशीघ्र अपनें डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त कर उन्हें ई–पेंशन की वैब साईट (http://epension.up.nic.in/UPOPS) पर कोषागार द्वारा आपके ई–मेल एवं मोबाईल पर प्रदत्त लॉग–इन एवं पासवर्ड द्वारा एनरौल कर कोषागार से अपनें डिजिटल सिग्नेचर अविलम्ब अप्रूव करा लें ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों कों ई–पेंशन के माध्यम से भुगतान किये जानें में कोई विलम्ब ना हो ।

जनपद के आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा ई–पेंशन के माध्यम से पेंशन का भुगतान कराये जानें के सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही नहीं की जा रही है । अतः जनपद के समस्त आहरण वितरण अधिकारी अपनें डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त कर उन्हें उपरोक्त साईट पर एनरौल करायें तथा कोषागार से एक सप्ताह के भीतर अप्रूवल प्राप्त कर लें एवं कृत कार्यवाही से दिनांक 25/04/2016 तक अद्योहस्ताक्षरी को अनिवार्य रूप से अवगत करायें । इस सम्बन्ध में आपका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है ।

(शुभ्रा सक्सेना)
जिलाधिकारी
बुलन्दशहर

पत्रांकः 50 II /ई–पेंशन/डि0सि0/2016–17, तद्दिनांक 16-4-16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1–निदेशक, कोषागार उत्तर प्रदेश, 1018 जवाहर भवन लखनऊ ।
2–निदेशक पेंशन, पेंशन निदेशालय, छठवॉं तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ ।
3–अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, एम0डी0ए0 भवन,मेरठ मण्डल, मेरठ ।
4–वरिष्ठ कोषाधिकारी, बुलन्दशहर समुचित अनुश्रवण सुनिश्चित करें ।
5–जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0 बुलन्दशहर इस पत्र को जनपद बुलन्दशहर की वैब साईट पर अपलोड करायें।

(शुभ्रा सक्सेना)
जिलाधिकारी
बुलन्दशहर

ई–पेंशन—7